



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.म.)

:: अधिसूचना ::

क्रमांक : 1063/अका./स.स./2005

रायपुर, दिनांक : 10.05.2005

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की दिनांक 01.07.2004 को सम्पन्न आठवीं बैठक में भाग-क (सामान्य) एवं भाग-ख (परिनियम एवं अध्यादेश) में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक 1 - छत्तीसगढ़ प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एल.एल.एम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक परीक्षा में 60% की अनिवार्य अर्हता में संशोधन बाबत

छत्तीसगढ़ प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु विधि स्नातक परीक्षा 60% की अनिवार्यता रखी गई है, इसे संशोधित कर विधि स्नातक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 55% सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 50% करने के प्रकरण पर विचार किया गया। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, यह व्यवस्था आगामी दो वर्षों के लिए लागू की जाये। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाये, अगर विधि पाठ्यक्रम की शिक्षा का स्तर निम्न पाया जावे, तो यह व्यवस्था बदल दी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक : 1064/अका./स.स./2005

रायपुर, दिनांक : 10.05.2005

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय।
2. अध्यक्ष, समस्त सम्बन्धित अध्ययन शाला,
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास),
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)